उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-196/2021/सा-1766/23-1-20-03सा0/21टीसी2

लखनऊ:: दिनांक 16 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विभिन्न जनपदों के सेतुओं/मार्गों के नामकरण किये जाने के संबंध में कार्यालय प्रमुख अभियंता(सेतु विंग) विंग) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-282/सेतु-नामकरण/सेतु-3/2021, दिनांक 16.08.2021 तथा प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-847/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/21, दिनांक 13.08.2021 एवं प सं0-837/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/21, दिनांक 06.08.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार नामकरण की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:- "

क्र	जनपद	परियोजना/सेतु का नाम	नामकरण
1	बरेली	दिल्ली लखनऊ मार्ग पर चौपला चौराहे पर तीन लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं बरेली-बदायूं मार्ग एस0एच0-33 एवं पुराना बस स्टैण्ड साइड में 02 लेन उपरिगामी सेतु	"अटल बिहारी बाजपेयी उपरिगामी सेतु"
2	प्रयागजराज	ग्राम कनेहटी रेलवे फाटक से तारडीह(फतेहगंज) सम्पर्क मार्ग।	"शहीद रमाकान्त यादव मार्ग"
3	मुरादाबाद	मुरादाबाद फर्रूखाबाद मार्ग से रहौली होकर चितौरा मार्ग(ग्रामीण मार्ग) लम्बाई 6.50 कि0मी0	"शहीद प्रदीप कुमार मार्ग"

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।

संख्या-196/2021/सा-1766(1)/23-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, बरेली/प्रयागजरा/मुरादाबाद।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. अधीक्षण अभियंता(नियोजन/परियोजना), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपयाआगामी गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in